न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025/155 **दायरा दिनांक : 21.07.2025**

उनवान

रामप्रताप आयु 74 वर्ष पुत्र श्री काशीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी तिसाया, तहसील व जिला बारां राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1. हरिश चन्द्र आयु 71 वर्ष पुत्र श्री काशीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी तिसाया, तहसील व जिला बारां राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां, जिला बारां, राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 (251–क)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री धर्मेन्द्र चौधरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री ओ. पी. मेहता अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 09.01.2026**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या –69/2024 निर्णय दिनांक 04.07.2025 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम तिसाया, तहसील बारां की जमाबंदी संवत 2073–2076 खाता संख्या नया 542 पुराना 518 की आराजी खसरा नं. 1061 रकबा 0.27 हेक्टर, खसरा नं. 1062 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नं. 1063 रकबा 0.40 हेक्टर, खसरा नं. 1409/290 रकबा 0.30 हेक्टर, खसरा नं. 291 रकबा 0.91 हेक्टर, खसरा नं. 292/1344 रकबा 0.32 हेक्टर, खसरा नं. 467 रकबा 0.07 हेक्टर कुल किता 7 कुल रकबा 2.29 हेक्टर आराजी स्थित है। इसमें से खसरा नं. 291 रकबा 0.91 हेक्टर, खसरा नं. 292/1344 रकबा 0.32 हेक्टर, खसरा नं. 1409/290 रकबा 0.30 हेक्टर विवादित है तथा खातेदार रामप्रताप पुत्र काशीलाल की खसरा नं. 292 रकबा 1.23 हेक्टर, खसरा नं. 1408/290 रकबा 0.25 हेक्टर को विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय दिनांक 04.07.2025 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट क्रम 1 द्वारा अपीलार्थी व रेस्पोडेंट क्रम 2 के विरूद्ध धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट का तहत आवेदन पेश किया था, जिसमें दिनांक 04.07.2025 को निर्णय फरमाते हुए आदेश दिया है कि विवादित आराजी वाके ग्राम तिसाया, तह० बांरा की खसरा नं. 1408/290 रकबा 0.25 हेक्टर की

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

दक्षिणी मेड़ पर होकर 12 फीट का रास्ता प्रार्थी के खेत पर आने जाने का कायम किया जाता है। उक्त रास्ते में दी गयी भूमि के बदले प्रार्थी को वर्तमान डी.एल.सी. दर से दुगनी राशि का भुगतान हेतु तहसील कार्यालय में जमा कराया जावे। तहसीलदार बांरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी से प्राप्त राशि का भुगतान अप्रार्थी को किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड मे रास्ता कायम किया जावे। उक्त आदेश/निर्णय की अप्रसन्नता से यह अपील माननीय न्यायालय में पेश की जा रही है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश खिलाफ कानून होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर कानून के अनुसार विवेचन नहीं करने में भारी भूल की है। रेस्पो० क्रम 1 द्वारा जानबूझकर अपीलार्थी को परेशान करने की गरज से उक्त कार्यवाही बिना किसी ठोस आधार पर न्यायालय में पेश की है जो काबिल खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौके कि रिपोर्ट दिनांक 04.07.2025 को पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलार्थी को सुने व साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बिना, उक्त आदेश दिनांक 04.07.2025 उसी दिन तुरत फुरत में पारित कर दिया जबकि अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन करने पर कि आज ही मौका रिपोर्ट आयी है बिना रिपोर्ट को देखे व पढे बहस नहीं कर सकते व साक्ष्य भी पेश करना चाहते हैं। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अधिवक्ता के निवेदन पर ध्यान दिये बिना, अपीलार्थी को सुनवायी का अवसर दिये बिना सीधा ही उक्त आदेश पारित कर दिया जो न्याय के स्वीकृत सिद्धान्तो के विपरीत है। अपीलार्थी आराजी वाके ग्राम तिसाया के खाता संख्या 439 से खसरा नं० 1408/209 रकबा 0.25 हेक्टर का खातेदार कृषक है जिसके पास कोई रास्ता नहीं है केवल नहर का माईनर खसरा नं० 300 है। रेस्पो. क्रम 1 को अपनी आराजी खसरा नं0 291 व खसरा नं0 1409/290 पर आने जाने हेतु प्रारम्भः से ही रास्ता रेस्पों० क्रम 1 के खेत खसरा नं० 291 के पश्चिम और स्थित खसरा नं0 280 से होकर खसरा नं0 271 एवं खसरा नं0 270 से रोड पर होकर खेडली भेडोलियां वाया तिसाया रोड तक आता जाता व रेस्पो0 क्रम 1 अपने कृषि यन्त्र लाता ले जाता रहा है एवं वर्तमान में भी रेस्पो० क्रम 1 उक्त रास्ते खसरा नं0 280 खसरा नं0 271 एवं खसरा नं० 270 से रोड पर होकर खेडली भेडोलियां वाया तिसाया रोड तक का खेत पर आने जाने हेतु उपयोग उपभोग कर रहा है तथा रेस्पो० क्रम 1 उक्त रास्ते का काफी लम्बे समय अपने पूर्वजों के समय से अपनी आराजी पर आने जाने हेतु उपयोग उपभोग कर काश्त खेती बाडी करता चला आ रहा है एवं रेस्पो० क्रम 1 के पास वैकल्पिक रास्ता विद्यमान है। इस कारण रेस्पो० क्रम 1 अपीलार्थी की आराजी से किसी प्रकार का रास्ता कायम करवा पाने का अधिकारी नहीं हैं तथा माननीय राजस्व बोर्ड द्वारा प्रतिपादित विभिन्न न्यायिक सिद्धान्तो में प्रतिपादित किया गया हैं कि जहाँ पूर्व से ही आराजियात पर आने जाने हेतु रास्ता विद्यमान हैं वहाँ नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है। उक्त तथ्यो पर गौर किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश निरस्तनीय है। रेस्पो० क्रम 1 को अपनी आराजी पर आने जाने हेतु रास्ता रेस्पो० क्रम 1 के खेत खसरा नं0 291 के पश्चिम ओर स्थित खसरा नं० 280 से होकर खसरा नं0 271 एवं खसरा नं0 270 से रोड पर होकर खेडली भेडोलियां वाया तिसाया रोड पर मिलने के कारण एवं रास्ता/वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने पर सुगम रास्ता प्रदान करने हेतु नया मार्ग बनाने सम्बन्धित प्रावधान नहीं होने से रेस्पो० क्रम 1 अपीलार्थी की आराजी से किसी प्रकार का रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं तथा माननीय राजस्व बोर्ड द्वारा जगदीश बनाम केसर राम वगैरा 2021 (2)

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

आर.आर.टी. 1286 व रामबिलास बनाम रामेश्वर वगैरा 2018–19 (सप्ली०) आर.आर.टी. 576 में स्पष्ट किया है कि धारा 251–ए आर.टी. एक्ट के अन्तर्गत सुगम मार्ग प्रदान करने का प्रावधान नहीं हैं नया मार्ग स्वीकृत नहीं किया जा सकता यदि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। उक्त न्यायिक निर्णयो कि रोशनी मे अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश/निर्णय निरस्तनीय है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कमांक 1104 दिनांक 06.02.2025 की पालना में मौका रिपोर्ट दिनांक 03.04.2025 पेश की गयी थी। जिस पर अपीलार्थी ने आपत्ति दर्ज करवाने पर अधीनस्थ न्यायालय मे पुनः मौके की रिपोर्ट प्राप्त कर, रिपोर्ट प्राप्त कर उसी दिन निर्णय पारित कर दिया जबकि उक्त मौका रिपोर्ट माननीय राजस्व मंडल द्वारा जारी परिपत्र र.म./न्याय/स्था./प–51/2008/विविध दिनांक 05.10.2020 में जारी दिशा निर्देशो के विपरीत है तथा राज० काश्तकारी कानून 1955 (सरकारी नियम) नियम 68–70 से अंसगत होने के कारण दुषित होने से उक्त निर्णय काबिल निरस्तनीय है। रेस्पो० क्रम 1 स्वयं रिटायर्ड राजस्व कर्मचारी रहा है। जिसने जानबूझकर पटवार मण्डल तिसाया के कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपीलार्थी खातेदार रामप्रताप व अन्य पडौसी किसानो के बताये अनुसार मोके पर रिपोर्ट का आलेखन पटवार हल्का द्वारा नहीं किया गया तथा जो रिपोर्ट मोके पर बनायी गयी थी उसके विपरीत रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा कार्यालय मे बैठ कर तैयार कर ली गयी एवं मोके के विपरीत रिपोर्ट बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत करदी गयी। इस कारण प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट प्रारम्भतः सदिग्ध हैं एवं अपीलार्थी व अन्य पडोसी किसान उक्त रिपोर्ट गलत होने बाबत व पटवार हल्का द्वारा छेडछाड बाबत शपथ पत्र पेश करने हेतु तत्पर है। पटवार मण्डल तिसाया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में जानबूझ कर रेस्पो० क्रम 1 के खसरा नं0 291 के पश्चिम और स्थित खसरा नं० 1369/280 की भूमि को नहीं दर्शाया गया है चूंकि राजस्व नक्शा ट्रैस सन् 1977 से 78 में रेस्पो० क्रम 1 के खसरा नं0 291 के पश्चिम ओर लगवा स्थित खसरा नं० 280 हैं जो आगे खसरा नं0 271, 270, 268 से जुडा हुआ है एवं उक्त खसरा नं० वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे कम्प्यूटर पर दर्शित नहीं है। पटवार मण्डल तिसाया द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट मे वर्णित विवादित खसरा नम्बरो के बाबत् पत्र क्रमाक भू०अभि०/2024/11593 दिनांक 12.12.2024 के माध्यम से धारा 136 एल०आर०एक्ट के तहत तरमीम दुरस्ती हेतु प्रकरण श्रीमान न्यायालय को भेजवाया हुआ है एवं रेस्पो० क्रम 1 ने भी अधीनस्थ न्यायालय में बउनवान मुकदमा हरिशचन्द्र बनाम श्री लाल वगैरा अन्तर्गत धारा 111, 128, 131, 136 एल०आर० एक्ट प्र०सं० /24 आगामी दिनांक 13.08.2025 पेश किया हुआ हैं। उक्त तरमीम दुरूस्ती के अभाव में राजस्व नक्शा व पटवार मण्डल तिसाया द्वारा रिपोर्ट में तैयार नक्शे मे काफी भिन्नता हैं जिस कारण पटवार मण्डल द्वारा राजस्व रेकार्ड के विपरीत हस्त नक्शा तैयार कर त्रुटीपूर्ण तरीके से खसरा नं० 1408/290 से रास्ते के माप की गणना की गयी है जो राजस्व रेकार्ड से अंसगत होने के कारण गलत है। उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के प्रसज्ञान में होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश/निर्णय निरस्तनीय हैं। रेस्पो० क्रम 1 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश करने पर अपीलार्थी द्वारा समुचित जवाब प्रस्तुत कर अपीलार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 1408/290 पर से रास्ता नहीं दिये जाने बाबत आपत्ति पेश की गयी थी एवं पटवार हल्का तिसाया द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 03.04.2025 को भी आपत्ति दिनांक 12.05.2025 पेश कर अधीनस्थ न्यायालय को पुनः मौका रिपोर्ट पक्षकारान व आस पास के पडोसी किसानो की उपस्थिति मे नियम 68 से 70 के अनुरूप व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05.10.2020 मे जारी दिशा निर्देश अनुसार प्रार्थना पत्र के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अंकित बिन्दु अनुसार पेश करने हेतु निवेदन किया गया था। इसके बावजूद पटवार हल्का तिसाया द्वारा दिनांक 01.07.2025 को जो रिपोर्ट तैयार की गयी है जो आपत्ति मे उठाये गये बिन्दुओ के विपरीत है व बिन्दुवार भी नहीं है। साथ ही परिपत्र के साथ प्रस्तुत प्रारूप के विपरीत है। जिन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान न देकर उक्त दूषित निर्णय पारित किये जाने से उक्त निर्णय खिलाफ कानून एवं न्याय के स्वीकृत सिद्धान्तो के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय/आदेश दिनांक 04.07.2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बांरा प्रकरण सं० 69/2024 बउनवान मुकदमा हरिशचन्द्र बनाम रामप्रताप वगैराह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर० टी० एक्ट निरस्त फरमाया जावे तथा रेस्पो० क्रम 1 को पाबन्द किया जावे कि अपीलार्थी की आराजी खसरा नं. 1408/290 हेक्टर में होकर कोई रास्ता कायम नहीं करे। ऐसा न तो स्वयं करे ना ही अपने प्रतिनिधीयों/कर्मचारियो से करावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251–क का प्रार्थना पत्र रेस्पोडेंट ने पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय में अपने निर्णय में जिसमें हमारे खाते की आराजी से रास्ता दिया है जो गलत है। वादग्रस्त आराजी पर आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जिसका उपयोग रेस्पोडेंट द्वारा किया जाता है। माइनर से होकर यदि लोग आते जाते हैं तो सिंचाई विभाग की रिपोर्ट आवश्यक है। वैकल्पिक रास्ते के फोटोग्राफ पेश किये हैं। सुविधा के लिए वादग्रस्त आराजी से रास्ता नहीं दिया जा सकता। अतः अपील खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.बी.जे. (28) 2021 पेज 143 की नजीर उद्धरित की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दो बार मौका रिपोर्ट पेश हुई है। दिनांक 03.04.2025 की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश हुई है तथा दिनांक 01.07.2025 की मौका रिपोर्ट दोबारा पेश हुई है। जिसे वैकल्पिक रास्ता बताते हैं वह नाला है। खसरा नं. 280 जो नाला है। जिसका शपथ पत्र अपीलांट ने दिया है उसके खेत के पास ही नाला है। पक्षकारान सगे भाई है। अपीलांट माइनर के रास्ते से ही अपनी आराजी पर आते जाते हैं और हमें भी माइनर से ही रास्ता दिया है, जो सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट कम 1 हरिशचन्द्र द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि ग्राम तिसाया, पटवार हल्का तिसाया, तहसील बारां की खाता संख्या नया 542 पुराना 518 की आराजी खसरा नं. 1061 रकबा 0.27 हेक्टर, खसरा नं. 1062 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नं. 1063 रकबा 0.40 हेक्टर, खसरा नं. 1409/290 रकबा 0.30 हेक्टर, खसरा नं. 291 रकबा 0.91 हेक्टर, खसरा नं. 292/1344 रकबा 0.32 हेक्टर, खसरा नं. 467 रकबा 0.07 हेक्टर कुल किता 7 कुल रकबा 2.29 हेक्टर प्रार्थी के खाते दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी के खाते की आराजियात खसरा नं. 291 रकबा 0.91 हेक्टर व खसरा नं. 1409/290 रकबा 0.30 हेक्टर व खसरा नं. 292/1344 रकबा 0.32 हेक्टर पर आने जाने के लिये अप्रार्थी कम 1 रामप्रताप के खातेदारी की आराजी खसरा नं. 1408/290 रकबा 0.25 हेक्टर, जो ग्राम भडसुई के कांकड से लगा हुआ है, से प्रार्थी आता जाता रहा है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी की आराजियात पर आने जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। पूर्व में प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता से प्राप्त आराजी दोनों के मध्य विभाजन हुआ उस वक्त रास्ते से ही आना जाना पारिवारिक समझोते अनुसार तय हुआ था तब से ही प्रार्थी इसी रास्ते का उपयोग करता चला आ रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने के कारण अप्रार्थी कम 1 के द्वारा निकलने में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी कम 1 की आराजी भडसुई तिसाया माइनर से प्रार्थी की आराजी में आने जाने हेतु 12 फुट का रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान करे।

अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार बारां के पत्रांक 239 दिनांक 07.04.2025 से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी कम 1 रामप्रताप द्वारा दिनांक 12.05.2025 को तहसीलदार बारां द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कर पुनः मौके कि पक्षकारान की उपस्थिति में तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाने हेतु निवेदन किया। तत्पश्चात तहसीलदार बारां द्वारा पत्रांक 1171 दिनांक 03.07.2025 से अधीनस्थ न्यायालय में मौका रिपोर्ट प्रेषित की गयी। प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम तिसाया में वर्तमान में नहर का माइनर खसरा नं. 300 पर जीर्णोदार हुआ है जिसके कारण नहर के माइनर पर साइड से रास्ता निकला हुआ है जो कि मौके पर माइनर पर सडक ग्राम तिसाया से भडसुई तक आवागमन संचालित है। इसी माइनर पर प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नं. 292, 1408/290 अवस्थित है। वादीगण की आराजी पर आने जाने हेतु मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है न ही कोई निकटतक मार्ग है। अतः अप्रार्थी कम 1 की आराजी खसरा नं. 1408/290 भडसुई तिसाया माइनर में से प्रार्थी की आरजी में आने जाने हेतु 12 फुट का रास्ता कायम करवाया जाना उचित होगा।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय दिनांक 04.07.2025 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कर ग्राम तिसाया, तहसील बारां के खसरा नं. 1408/290 रकबा 0.25 हेक्टर की दक्षिणी मेड़ पर होकर 12 फुट का रास्ता प्रार्थी के खेत पर आने जाने हेतु कायम किये जाने आदेश दिये गये जिससे प्रसन्न होकर अपीलांट अप्रार्थी कम 1 रामप्रताप द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील पेश की है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा धारा 251–क के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा दिनांक 06.02.2025 को तहसीलदार बारां को पत्र प्रेषित किया गया। उक्त पत्र की पालना में तहसीलदार बारां द्वारा अपने पत्र दिनांक 07.04.2025 से आई.एल.आर. एवं पटवारी द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित की गई। अपीलांट अप्रार्थी द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट पर दिनांक 12.05.2025 को आपत्ति पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने पत्र दिनांक 23.05.2025 से तहसीलदार बारां को पक्षकारान की उपस्थिति में पुनः रिकार्ड एवं मौका स्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार बारां द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.07.2025 से आई.एल.आर. कोयला एवं पटवारी हल्का, तिसाया द्वारा अपीलांट एवं ग्रामवासियान की उपस्थिति में दिनांक 01.07.2025 को तैयार की गई मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा उपखण्ड अधिकारी, बारां को भिजवायी गई। इस मौका रिपोर्ट पर स्वयं अपीलांट रामप्रताप के हस्ताक्षर अंकित है। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट आई.एल.आर. एवं पटवारी द्वारा अपीलांट एवं ग्रामवासियान की उपस्थिति में तैयार की गई है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत प्रतीत होती है।

अपीलांट ने प्रस्तुत अपील में वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता के सन्दर्भ में कथन किया कि रेस्पोडेंट कम 1 को अपनी आराजी खसरा नं. 291 व खसरा नं. 1409/290 पर आने जाने हेतु प्रारम्भ से ही रास्ता रेस्पोडेंट कम 1 के खेत खसरा नं. 291 के पश्चिमी ओर स्थित खसरा नं. 280 से होकर खसरा नं. 271 एवं खसरा नं. 270 से रोड़ पर होकर खेडली भैडोलिया वाया तिसाया रोड़ तक आता जाता है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध द्वितीय मौका रिपोर्ट के अनुसार आराजी खसरा नं. 271 व 280 किस्म गैर मुमकिन खाड़ी दर्ज होने से यह प्रतिबंधित श्रेणी की आराजी है। मुताबिक मौका रिपोर्ट प्रार्थी रेस्पोडेंट कम 1 की आराजी पर आने जाने हेतु मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, न ही कोई निकटम मार्ग है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध द्वितीय मौका रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि अपीलांट अप्रार्थी जिस वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता का कथन कर रहा है वे खसरा नं. 271, 280 किस्म गैर मुमकिन खाड़ी है जिसमें वर्षाजल का पानी प्रवाहित होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वितीय मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा के आधार पर अपीलांट के खाते की आराजी खसरा नं. 1408/290 की दक्षिणी मेड़ पर रास्ता कायम करने का जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधि सम्मत प्रतीत होता है। अतः हम अपील के इस स्तर पर अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.07.2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/01/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा